भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2351

जिसका उत्तर सोमवार, 15 दिसंबर, 2025/24 अग्रहायण, 1947 (शक) को दिया गया

ईएमआई का समय पर भुगतान

2351. डॉ. प्रशांत यादवराव पडोले:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि समय पर ईएमआई/क्रेडिट कार्ड भुगतान करने और क्रेडिट सूचना रिपोर्ट में इसे दर्शाए जाने में विलंब अभी भी जारी है, जिससे सिबिल स्कोर में अस्थायी गिरावट आ रही है और इससे तत्काल ऋण प्राप्त करना मुश्किल हो रहा है या ब्याज दरें बढ़ रही हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) डिजिटल बैंकिंग में प्रगति के बावजूद, क्रेडिट संस्थान (सीआई) दैनिक या लगभग वास्तविक समय के आधार पर पुनर्भुगतान डेटा क्रेडिट सूचना कंपनियों को रिपोर्ट करने में असमर्थ क्यों हैं;

(ग) क्या सभी सीआई 1 जनवरी 2025 से द्विमासिक रिपोर्टिंग चक्र (15 तारीख और महीने के अंत में) का पालन कर रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सात दिन की अवधि से अधिक देरी के लिए आरबीआई द्वारा क्या निगरानी और दंडात्मक कदम उठाए गए हैं;

(घ) पिछले दो वित्तीय वर्षों में क्रेडिट रिकॉर्ड के विलंब से अद्यतन न होने और भुगतान किए गए मुआवजे के संबंध में रिजर्व बैंक-एकीकृत लोकपाल योजना के तहत शिकायतों की संख्या कितनी है; और

(ङ) क्या सरकार अद्यतन करने में विलंब के कारण साबित होने वाली हानि या ऋण आवेदनों की अस्वीकृति होने की दशा में आरबीआई को अनिवार्य शास्ति लगाने का निर्देश दे सकती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ग): ग्राहक की अद्यतन ऋण सूचना को दर्शाने और उधारदाताओं को सूचित ऋण संबंधी निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सभी ऋण संस्थाओं (सीआई) को दिनांक 01.01.2025 से ऋण सूचना कंपनियों (सीआईसी) को मासिक से पाक्षिक रिपोट करने का निदेश दिया है। इसके अलावा, आरबीआई ने दिनांक 04.12.2025 को जारी संशोधन निर्देशों के माध्यम से, और दिनांक 01.07.2026 से प्रभावी, सीआई को सीआईसी को उच्च आवृत्ति (अर्थात, 9, 16, 23 और महीने के अंतिम दिन तक) के साथ या सीआई और सीआईसी के बीच पारस्परिक रूप से सहमत कम अंतराल पर ऋण सूचना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

(घ): ऋण की स्थिति को सही करने में विलंब/विफलता अथवा ऋण सूचना कंपनियों को गलत तरीके से रिपोर्ट करने के लिए, रिज़र्व बैंक-एकीकृत लोकपाल योजना को वित्तीय वर्ष 2023-24 में 4,801 शिकायतें और वित्तीय वर्ष 2024-25 में 7,330 शिकायतें प्राप्त हुई।

(ङ): क्रेडित सूचना की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए, सीआईसी नियम, 2006 के नियम 20 और नियम 25 के साथ पठित ऋण सूचना कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 (सीआईसीआरए, 2005) की धारा 19, और सीआईसी विनियमन, 2006 के विनियमन 10 में व्यक्त किया गया है कि सीआईसी या सीआई, जैसा भी मामला हो, ऋण सूचना के कब्जे या नियंत्रण में यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगा कि उनके द्वारा अनुरक्षित और प्रस्तुत की गई ऋण सूचना से संबंधित डेटा सटीक और पूर्ण है। सीआईसीआरए अधिनियम की धारा 23 (4) के साथ पठित धारा 25 आरबीआई को इस अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति पर जुर्माना लगाने की अनुमति देता है।

*****